

18/2 21-579

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19 आवेदन सं० 7074 dt 21/5/2019 19
चुनिनी Muzma Kumar s/o sh Satyendra Kumar Singh (C.R.)

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्वाचित संव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में जहाँ मैं और उससे सम्बद्ध अनुसंधानियों में ता० 2006 to 21/5/2019 से ता० 19 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला As per index II चला है अतः संपत्ति अवधार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Kothwa P.S. - Khagaul Thana No - 37 Tauri No - 18-C Rkhat No - 68 S. Plot No - 333 (Part) Total Area - 7.1875 decimal + 6.25 decimal + 4.0625 decimal 2.1875 decimal + 3.125 decimal + 4.6875 decimal Dist - Patong							

1. आवेदक के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. प्रमाण-पत्र की दिशा व्यापक कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वसुली को उनके बारे में उल्लेख हो।
 3. चूट की दशा में चूट की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ें उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

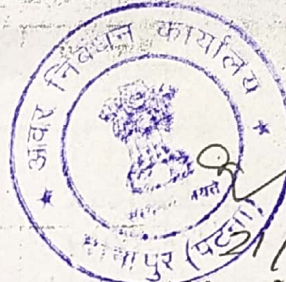
(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Danapur

तारीख:

21/5/19



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बाधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणिकीय (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों निम्न निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करने होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणिकीय उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा हुई गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की चूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधन: Danapur

जाप संख्या: 1271

दिनांक: 24/5/19

आवेदक श्री: Munner Kumar S/o Sh. Satendra Kr. Singh

का अवधार: प्रमाण-पत्र द्वारा: Canara Bank, Patna

का उनके पत्र संख्या: _____ दिनांक: 20/5/2019 के प्रसंग में अप्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

21/5/19